न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(पीठासीन अधिकारी महेन्द्र लोढ़ा, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 162/2017 दायरा दिनांक : 01.12.2017

उनवान

1– जगदीश पुत्र भंवरलाल, जाति धाकड़, निवासी चतरपुरा, तहसील सांगोद, जिला कोटा

2– भीमराज पुत्र जगदीश, जाति धाकड़, निवासी चतरपुरा, तहसील सांगोद, जिला कोटा

3– रामप्रताप पुत्र जगदीश, जाति धाकड़, निवासी चतरपुरा, तहसील सांगोद, जिला कोटा

4– रामबिलास पुत्र जगदीश, जाति धाकड़, निवासी चतरपुरा, तहसील सांगोद, जिला कोटा

.... अपीलांट

बनाम

1– रामकल्याण पुत्र जगदीश, जाति धाकड़, निवासी चतरपुरा, तहसील सांगोद, जिला कोटा

1/1– गिरिराज प्रसाद पुत्र रामकल्याण, जाति धाकड़, निवासी चतरपुरा, तहसील सांगोद, जिला कोटा

1/2– सुनीता पत्नी हुकम चन्द पुत्री रामकल्याण, जाति धाकड, निवासी खजूरी, तहसील सांगोद, जिला कोटा

1/3– निर्मला बाई पत्नी रमेश चन्द पुत्री रामकल्याण, जाति धाकड, निवासी करेरिया, तहसील सांगोद, जिला कोटा

1/4– रामजानकी पत्नी रामकल्याण, जाति धाकड, निवासी चतरपुरा, तहसील सांगोद, जिला कोटा

2– राजेन्द्र पुत्र जगदीश, जाति धाकड़, निवासी चतरपुरा, तहसील सांगोद, जिला कोटा

3– माधोलाल पुत्र भंवरलाल, जाति धाकड़, निवासी चतरपुरा, तहसील सांगोद, जिला कोटा

4– मोहन लाल पुत्र भंवरलाल, जाति धाकड़, निवासी चतरपुरा, तहसील सांगोद, जिला कोटा

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज.)

5– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार खानपुर, जिला झालावाड़

6– उप पंजीयक खानपुर, जिला झालावाड

7– राजसथान सरकार जरिये तहसीलदार सांगोद, जिला कोटा

8– उपपंजीयक सोगोद, जिला कोटा

.... रेस्पोडेंट

उपस्थित – श्री तंवर सिंह अभिभाषक अपीलांट की ओर से

श्री मनीष श्रृंगी एवं श्याम सिंह पंवार अभिभाषक

रेस्पोडेंट की ओर से

निर्णय दिनांक : 07.01.2021

यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी, खानपुर के प्रकरण संख्या – 929/2016 निर्णय व डिक्री दिनांक 21.11.2017 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि रेस्पोडेंट नम्बर 1 ने अपीलांट एवं अन्य रेस्पोडेंट के खिलाफ उपखण्ड अधिकारी खानपुर के यहां ग्राम जोलपा की आराजी खसरा नम्बर 800 रकबा 9 बीघा 6 बिस्वा, खसरा नम्बर 853 रकबा 15 बीघा 7 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 24 बीघा 13 बिस्वा आराजी एवं ग्राम चतरपुरा, तहसील सांगोद, जिला कोटा की आराजी खसरा नम्बर 93, 94, 316, 320, 323 कुल 5 किता की 1.7800 हेक्टर शामलाती खाते की है उक्त आराजी को पुश्तैनी होना बताकर अपने हिस्से की घोषणा और विभाजन कराने बाबत दावा पेश किया । जिसमें प्रतिवादीगण अपीलांट की ओर से वकालतनामा पेश किया एवं जवाबदावा पेश किया तथा वादी एवं प्रतिवादीगण की ओर से साक्ष्य पेश की गई । अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली पर आयी साक्ष्य पर गौर न कर कानून के खिलाफ निर्णय व डिक्री पारित कर दी जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश की गई । अपील में अपीलांट ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि विरूद्ध है एवं पत्रावली पर आयी साक्ष्य के विपरीत है जो अपास्त होने योग्य है । रेस्पोडेंट नम्बर 1 ने ग्राम जोलपा, तहसील खानपुर एवं ग्राम चतरपुरा तहसील सांगोद, जिला कोटा की आराजी के बाबत दावा पेश किया । जबकि ग्राम चतरपुरा जिला कोटा में है जिस कारण दावा अधीनस्थ न्यायालय के क्षेत्राधिकार नहीं होने के बाद भी अधीनस्थ न्यायालय ने दावे को खारिज न कर कानूनी भूल की है । अपीलांट

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज.)

नम्बर 1 ने अपने तीन पुत्रों रेस्पोडेंट नम्बर 1 रामकल्याण, रेस्पोडेंट नम्बर 2 एवं अपीलांट नम्बर 4 के नाम से जमीन खरीदकर खाते लगायी । अपीलांट नम्बर 1 ने ही अपनी राशि से आराजी खरीदी थी तथा अपीलांट नम्बर 1 ने पांचों पुत्रों को समान रूप से आराजी का बंटवारा कर कब्जा संभला दिया तथा चतरपुरा की आराजी रेस्पोडेंट नम्बर 1 के हिस्से में आयी किन्तु रेस्पोडेंट नम्बर 1 की नियत में खोट आ गयी जिस कारण वाद को सोच समझतकर यह दावा पेश किया । अपीलांट नम्बर 1 के एक पुत्री रामकन्या भी है जिसको भी दावे में पक्षकार नहीं बनाया जबकि पुश्तैनी आराजी में पुत्री का भी हक बनता है जिस पर भी अधीनस्थ न्यायालय ने गौर नहीं किया । विवादित आराजी पर कभी भी रेस्पोडेंट नम्बर 1 का एवं उसकी मृत्यु हो जाने के बाद उसके वारिस 1/2 लगायत 1/4 कब्जा नहीं रहा है । अपीलांट नम्बर 1 के दो लड़के भीमराज, रामप्रताप कुंवारे हैं जो अपीलांट नम्बर 1 के पास रहते हैं । अपीलांट नम्बर 1 ने रेस्पोडेंट नम्बर 1 की शादी कर दी उसके बाद उसकी नियत में खोट आ गई एवं जोलपा की आराजी को हड़पने के उद्देश्य से दावा पेश किया था, जिस कारण अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री अपास्त होने योग्य है । अपीलांट नम्बर 1 जगदीश की पुत्री कन्या बाई जगदीश की विधिक वारिस होने से उसको रेस्पोडेंट नम्बर 5 बनाया गया है । अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री मनमाना है, परवर्स है, तथा केप्रिशियस होने से अपास्त होने योग्य है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 21.11.2017 अपास्त की जावे ।

अपील प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । बहस उभयपक्षीय सुनी गई ।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि रेस्पोडेंट नम्बर 1 रामकल्याण ने अपीलांट जगदीश का पुत्र है जिसने अपने पिता की सम्पत्ति में हिस्सा लेने के लिय जमीन गांव जोलपा (खानपुर) व ग्राम चतरपुरा तहसील सांगोद जिला कोटा में है जिसका क्षेत्राधिकार नहीं है फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने दावे का निर्णय कर दिया । हम उसके खिलाफ अपील लेकर आये हैं । अपीलांट जगदीश ने रेस्पोडेंट नम्बर 1 रामकल्याण, रेस्पोडेंट नम्बर 2, रेस्पोडेंट नम्बर 4 के नाम सीधे ही रजिस्ट्री करा दी । इस आराजी को सम्मिलित नहीं किया पुश्तैनी बताकर बंटवारे कर दावा करा लिया । जगदीश के एक लड़की भी है जिसको पार्टी

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज.)

नहीं बनाया इसका भी वादग्रस्त आराजी में हक बनता है । कलाबाई को पक्षकार नहीं बनाया गया । अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जावे ।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने कथन किया कि रेस्पोडेंट नम्बर 1 से 4 रामकल्याण के वारिस हैं अधीनस्थ न्यायालय में पार्टी बन चुके थे । रामकल्याण 1 के पति 2, 3, 4 के पिता हैं । रामकल्याण ने जोलपा व चतरपुरा की आराजी पुश्तैनी है । अधीनस्थ न्यायालय ने तनकी नम्बर 1 व 2 वादी के पक्ष में निर्णित की है । लड़की को पक्षकार बनाना जरूरी नहीं था । ये पक्षकार बना देते ऑर्डर 1 नियम 10 में । इन्होंने अपील में पार्टी बनाया लेकिन 5 नम्बर का नाम काटा हमें मालुम नहीं । यदि दो अलग अलग जमीन है तो एक ही उपखण्ड अधिकारी निर्णय कर सकता है । जवाबदावे में लडकी का कोई कथन नहीं है । अपील में हवाला दिया है ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तनकीवार विवेचन कर प्रकरण में उभयपक्षकारों को सुनवाई का अवसर देकर प्रकरण का विधि पूर्वक निस्तारण किया गया है, इसमें हस्तक्षेप करना हम उचित नहीं समझते हैं ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 21.11.2017 यथावत रखा जाता है ।

निर्णय आज दिनांक 07.01.2021 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

डिकरी व सीगे अपील

Jud/Civ
Part IV-4

(ऑ. 41, रूल 35 जाब्ता दीवानी)
(Civil Procedure Code, Appendix G'9)

अज अदालत न्यायालय भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा मुकाम कोटा
महेन्द्र लोढ़ा, आर.ए.एस. पीठासीन प्राधिकारी, कोटा (राजस्थान)

1– जगदीश पुत्र भंवरलाल, जाति धाकड़, निवासी चतरपुरा, तहसील सांगोद, जिला कोटा
2– भीमराज पुत्र जगदीश, जाति धाकड़, निवासी चतरपुरा, तहसील सांगोद, जिला कोटा
3– रामप्रताप पुत्र जगदीश, जाति धाकड़, निवासी चतरपुरा, तहसील सांगोद, जिला कोटा
4– रामबिलास पुत्र जगदीश, जाति धाकड़, निवासी चतरपुरा, तहसील सांगोद, जिला कोटा

.... **अपीलांट** **बनाम**

1– रामकल्याण पुत्र जगदीश, जाति धाकड, निवासी चतरपुरा, तहसील सांगोद, जिला कोटा
1/1– गिरिराज प्रसाद पुत्र रामकल्याण, जाति धाकड, निवासी चतरपुरा, तहसील सांगोद, जिला कोटा
1/2– सुनीता पत्नी हुकम चन्द पुत्री रामकल्याण, जाति धाकड, निवासी खजूरी, तहसील सांगोद, जिला कोटा
1/3– निर्मला बाई पत्नी रमेश चन्द पुत्री रामकल्याण, जाति धाकड, निवासी करेरिया, तहसील सांगोद, जिला कोटा
1/4– रामजानकी पत्नी रामकल्याण, जाति धाकड, निवासी चतरपुरा, तहसील सांगोद, जिला कोटा
2– राजेन्द्र पुत्र जगदीश, जाति धाकड़, निवासी चतरपुरा, तहसील सांगोद, जिला कोटा
3– माधोलाल पुत्र भंवरलाल, जाति धाकड़, निवासी चतरपुरा, तहसील सांगोद, जिला कोटा
4– मोहन लाल पुत्र भंवरलाल, जाति धाकड़, निवासी चतरपुरा, तहसील सांगोद, जिला कोटा
5– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार खानपुर, जिला झालावाड़
6– उप पंजीयक खानपुर, जिला झालावाड
7– राजसथान सरकार जरिये तहसीलदार सांगोद, जिला कोटा
8– उपपंजीयक सोगोद, जिला कोटा

.... **रेस्पोडेंट**

अपील नं. 162/2017 एवं नाराजगी डिकी अदालत – उपखण्ड अधिकारी, खानपुर
मु.द.नं 929/दावा/2016 निर्णय व डिकी दिनांक – 21.11.2017

दावा बाबत

माह अपील व तारीख 18 माह 12 सन् 2020

हाजरी **श्री तंवर सिंह झाला** अभिभाषक मिनजानिब अपीलांट एवं **श्री मनीष श्रृंगी** एवं **श्री श्याम सिंह पंवार** अभिभाषक मिनजानिब रेस्पोडेंट

समाअत के लिये पेश होकर हुक्म हुआ कि :–

अपील अपीलांट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिकी दिनांक 21.11.2017 यथावत रखा जाता है ।

बाबत मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत आज तारीख 07 माह 01 सन् 2021 को जारी किया गया ।

मोहर

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा (राज.)